

वधियकों के प्रकार

विधियकों के प्रकार (TYPES OF BILLS)

साधारण विधियक

- वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित

धन विधियक

- वित्तीय मामलों से संबंधित जैसे:
 - करारोपण
 - सरकारी व्यय
 - संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन
 - भारत की समेकित और आकस्मिक निधि

वित्त विधियक

- वित्तीय मामलों से संबंधित लेकिन धन विधियक से अलग:
 - वित्त विधियक (I) - उदाहरण. - एक ऐसा बिल जिसमें उधार लेने संबंधी खंड होता है लेकिन यह विशेष रूप से उधार लेने से संबंधित नहीं होता है।
 - वित्त विधियक (II) - भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान (धन विधियक में वर्णित मामलों को छोड़कर)

संविधान संशोधन विधियक

- संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित

विधियकों के प्रकार

विशेषताएँ	साधारण विधियक	धन विधियक	वित्त विधियक (I)	वित्त विधियक (II)	संविधान संशोधन विधियक
अनुच्छेद	107, 108	110	117 (1)	117 (3)	368
जिन सदनों में पेश किया जा सकता है	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	केवल लोकसभा	केवल लोकसभा	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	लोकसभा और राज्यसभा दोनों (लेकिन राज्य विधानमंडल नहीं)
जिन सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है	मंत्री या निजी सदस्य	केवल मंत्री	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य
राष्ट्रपति की सिफारिश (सदन में विधियक पेश करने के संदर्भ में)	आवश्यक नहीं	आवश्यक है	आवश्यक है	केवल विचार के लिये सिफारिश	आवश्यक नहीं
राज्यसभा द्वारा संशोधन/ अस्वीकृति	किया जा सकता है	सिफारिश ही की जा सकती है (बाध्यकारी नहीं)	किया जा सकता है	किया जा सकता है	किया जा सकता है
गतिरोध के लिये संयुक्त बैठक	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं
राष्ट्रपति की भूमिका	अस्वीकार करना/ स्वीकृति देना/ पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिये वापस नहीं भेज सकता	अस्वीकार करना/ स्वीकृति देना/ पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना/ पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना आवश्यक (अस्वीकार नहीं कर सकता / वापस नहीं भेज सकता)

